न्यायालय ::– अपर सेशन न्यायालय, मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।
पीठासीन अधिकारी :– आशा चौधरी, RJS (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
F.I.R. No. - 75/2026, P.S. मकराना।
आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र सं.–36/2026, CIS No.- 36/2026

1. लोकेन्द्र उर्फ राहुल पुत्र रतनलाल, उम्र 29 वर्ष, निवासी मनाना, पुलिस थाना मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।

—— प्रार्थी/अभियुक्त

ब ना म

1. राजस्थान राज्य।

—— अभियोगी

उपस्थिति :-

राज0 राज्य की ओर से	–	अपर लोक अभियोजक श्री हरिकृष्ण गोपाल।
प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से	–	अधिवक्ता श्री बलजीत सिंह चौधरी, श्री शेखर किरडोलिया, श्री ललित किरडोलिया, श्री अनवर अली मालावत।

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., 2023
अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2), 109(1) बी.एन.एस.

दिनांक :– 27/03/2026

–:: आदेश ::–

1. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. पेश किया गया, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलायी गई। केस डायरी तलब की गई व केस डायरी का अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी मनोज कुमार ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी पत्नी ललिता प्रातः 10:0 बजे घर के पास बैठी थी। बाहर हो–हल्ला होने पर घर के बाहर आई तो वहां पर बाउदेवी, लोकेन्द्र उर्फ राहुल, गुड्डू उर्फ योगेश, रतनलाल, भारती उर्फ रेणु, संजयसिंह पानीपुरी वाले से मारपीट कर रहे थे, जब उसकी पत्नी उनको छुड़ाने के लिए बाहर आई तो उक्त सभी उसकी पत्नी को घेरकर मारपीट करना शुरू कर दिया। उसने बचने का प्रयास करते हुए उनको समझाने की कोशिश की लेकिन उक्त लोगों ने कहा कि गाड़ी लेकर आओ और इसके उपर से निकालकर इसे मार देते हैं। उतने में लोकेन्द्र उर्फ राहुल ने अपनी गाड़ी आर.जे–37–3450 स्विफ्ट गाड़ी को दौड़ाकर उसकी पत्नी को मारने की नीयत से टक्कर मार दी, जिससे उसके पैर टूट गये, छाती में गंभीर चोटें आई। आस–पास के लोगों ने

छुड़ाया, वगैरह–वगैरह। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण सं. 75/2026 अंतर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2), 109(1) बी.एन.एस. में दर्ज कर प्रकरण का अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण में अभियुक्त की लिप्तता प्रकट होने के कारण उसे गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात् प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना के समक्ष जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 480 बी.एन.एस.एस. पेश किये जाने पर विचारण न्यायालय के द्वारा उक्त जमानत प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.03.2026 को खारिज किये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा कि प्रार्थी/अभियुक्त को परिवादी ने पुलिस थाना मकराना वालों से मिलीभगत कर झूठा फंसाया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह दिनांक 16.03.2026 से गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में है, जिसके न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके जीवन पर कुप्रभाव पड़ेगा, इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उसके विरूद्ध आरोपित अपराध आजीवन कारावास व मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है। उससे किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी शेष नहीं है। वह मनाना, पुलिस थाना मकराना का स्थाई निवासी है और वहीं उसकी चल–अचल सम्पत्ति है, अतः जमानत का लाभ दिये जाने पर उसके फरार होने का अंदेशा नहीं है। उस पर गवाहान को डराने–धमकाने व बहकाये जाने का कोई आरोप नहीं है। वह न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली सभी शर्तों की पालना करने व अपनी मौतबीर जमानत प्रस्तुत करने के लिए तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

4. उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2), 109(1) बी.एन.एस. से संबंधित होकर गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

5. दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त पर

मौजा मनाना में अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्व जमाव का सदस्य होते हुए विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर बल व हिंसा का प्रयोग कर बल्वा कारित करने, परिवादी की पत्नी ललिता को उसकी इच्छित दिशाओं में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित करने, उसके साथ स्वेच्छा मारपीट कर साधारण प्रकृति की उपहतियां कारित करने व आहता ललिता की हत्या करने के आशय से उस पर स्विफ्ट गाड़ी से जोरदार टक्कर मारने का आरोप है, जो कि गंभीर प्रकृति का है। इस संबंध में प्रथम दृष्टया केस डायरी का अवलोकन किया जावे तो केस डायरी पर प्रथम दृष्टया फर्द पेशकर्ता एक पैनड्राईव उपलब्ध है, जिसमें प्रथम दृष्टया उक्त तथ्य का वर्णन है कि ''परिवादी के पुत्र द्वारा दौराने अनुसंधान एक पैनड्राईव पेश की गई, जिसको चलाकर देखने पर प्रथम दृष्टया उसमें ललिता के बायें पैर पर लगी खून आलूदा चोट दिख रही है, साथ ही प्रथम दृष्टया एक विडियो क्लिप 29 सैकण्ड का भी है, जिसमें तीन औरतें (मजरूबा ललिता, रेणु उर्फ भारती व बाउदेवी) आपस में बोलचाल करती हुई प्रथम दृष्टया दिखाई दे रही है और उक्त दोनों औरतें रेणु उर्फ भारती व बाउदेवी, मजरूबा ललिता को गालियां निकालती हुई भी सुनाई दे रही है, तभी सफेद रंग की स्विफ्ट गाड़ी तेजगति से आकर प्रथम दृष्टया ललिता देवी के सामने से जोरदार टक्कर मारती हुई दिखाई दे रही है, जिसके संबंध में प्रथम दृष्टया घटना में प्रयुक्त वाहन को जप्त किया गया है। साथ ही प्रथम दृष्टया केस डायरी का अवलोकन किया जावे तो केस डायरी पर प्रथम दृष्टया मजरूबा ललिता देवी का चोट प्रतिवेदन भी संलग्न है, जिसमें मजरूबा के बायें पैर में फ्रेक्चर होना प्रथम दृष्टया प्रकट हो रहा है। हालांकि प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन प्रकरण धारा 189(2), 115(2), 126(2), 109(1) बी.एन.एस. का होकर गंभीर प्रकृति का है। इस संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत –

1. Ramesh Kumar Vs. State of Rajasthan 2012 (3) CJ (Cri.) (Raj.) 1519

2. Dularam Vs. State of Rajasthan S.B. Cri. Misc. Bail App. 1520/2026

3. Banwari Vs. State एकल दा.वि.ज.प्रा.प. सं. 4559/93 दि. 24.11.1993

तथ्य व परिस्थिति की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं

होते हैं। अतः प्रकरण की उक्त विशेष तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–: आदेश :–

6. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., 2023 उपरोक्तानुसार अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को निःशुल्क दी जावे। केस डायरी संबंधित थाने को लौटाई जावे।

(आशा चौधरी)
अपर सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना–कुचामन।

7. आदेश आज दिनांक 27.03.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(आशा चौधरी)
अपर सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना–कुचामन।